सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।

माननीय प्रबन्ध परिषद की 47वीं बैठक दिनाँक 29 अक्टूबर, 2021 का कार्यवृत्त

माननीय प्रबन्ध परिषद की 47वीं बैठक दिनाँक 29 अक्टूबर, 2021 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् थीः–

1.	डा0 आर0 के0 मित्तल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	डा0 के0के0 सिंह, सहायक महानिदेशक, आई0सी0ए0आर0, नई दिल्ली।	सदस्य
3.	श्री निखिल कुमार त्यागी, लाइव स्टाक ब्रीडर	सदस्य
4.	श्रीमती सुमन त्यागी, सामाजिक महिला कार्यकत्री	सदस्य
5.	श्री मनोहर सिंह तोमर, प्रगतिशील कृषक	सदस्य
6.	श्री ए0के0 सिंह, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ मण्डल, मेरठ (प्रमुख सचिव वित्त, उ0प्र0 के प्रतिनिधि)	सदस्य
7.	डा0 शैलेन्द्र कुमार, उपनिदेशक (कृषि रक्षा), मेरठ मण्डल, मेरठ (अपर मुख्य सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग / निदेशक कृषि, उ0प्र0 के प्रतिनिधि)	सदस्य
8.	डा0 अंजू सिंह, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ (प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उ0प्र0 के प्रतिनिधि)	सदस्य
9.	डा0 यशवीर सिंह, संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, लखनऊ (निदेशक पशुपालन, उ0प्र0 के प्रतिनिधि)	सदस्य
10.	श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा, वित्त नियंत्रक	सचिव

मा0 प्रबन्ध परिषद के अध्यक्ष एवं वित्त नियन्त्रक महोदया द्वारा मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया।

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स0 व0 प0 कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

प्रस्ताव संख्या 47.1 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 46वीं बैठक दिनाँक 09 जुलाई, 2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

मा0 प्रबन्ध परिषद की 46वीं बैठक दिनांक 09 जुलाई, 2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या 47.2 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 46वीं बैठक दिनाँक 09 जुलाई, 2021 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

मा0 प्रबन्ध परिषद की 47वीं बैठक दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 के निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, जिस पर समस्त सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। साथ मा0 सदस्यों द्वारा निम्न अभिमत व्यक्त कियेः—

1. श्री निखिल कुमार त्यागी, मा0 सदस्य द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुगरकेन की पैदावार के दृष्टिगत कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के अधीन College of Sugarcane की स्थापना के सम्बन्ध में शासन में की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। जिसपर मा0 कुलपति जी द्वारा मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि College of Sugarcane की स्थापना से सम्बन्धित प्रस्ताव हेतु उ0प्र0 शासन को पुनः पत्र प्रेषित कर दिया गया है।

2. मा0 सदस्यों द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कार्यरत कार्मिकों के केन्द्र से अनुपस्थित रहने के दृष्टिगत मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा स्वयं भिन्न—भिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसपर संदर्भित के0वी0के0 के कार्मिक उपस्थित मिले। साथ ही मा0 कुलपति जी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मा0 कुलाधिपति

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ—250110

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एव
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

महोदया द्वारा निर्देश दिये गये है कि कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कार्यरत कार्मिकों को उनके निर्धारित स्थल पर ही स्थाई रूप से रहकर कार्य करना चाहिये जिससे कार्य की उत्पादकता तथा गुणवत्ता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु ऑनलाईन मोड में विभिन्न प्रकार के गैर–शैक्षणिक स्टाफ हेतु विज्ञापन जारी किया जा चुका है तथा उपर्युक्त विज्ञापन में विज्ञापित पदों की नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर ली जायेगी एवं इसके लिए किसी प्रकार का साक्षात्कार नही लिया जायेगा।

3. श्री मनोहर सिंह तोमर, प्रगतिशील कृषक द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों से नदारद रहने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में सुझाव दिया गया कि विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों पर आवास एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी होने के कारणवश भी कार्मिक के0वी0के0 के आवासों में नही रह पा रहे है। अवगत कराया गया कि पुराने कृषि विज्ञान केन्द्रों पर रहने के लिये कुछ आवास बनाये गये थे परन्तु उपयोग में न आने से खराब हो गये है।
4. श्री निखिल कुमार त्यागी, लाइव स्टाक ब्रीडर द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कार्मिकों की उपस्थिति बायोमैट्रिक के माध्यम से लिये जाने पर सुझाव दिया गया। जिसपर मा0 कुलपति जी एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि कोविड–19 के दृष्टिगत इस व्यवस्था पर भविष्य में ध्यान दिया जायेगा।
5. मा0 प्रबन्ध परिषद की 46वीं बैठक में श्रीमती सुमन त्यागी, सामाजिक महिला कार्यकत्री द्वारा दिये गये सुझाव के सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा मा0 सदस्यों को

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एव
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में काउसिलिंग के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के बाह्य केन्द्रों अथवा कृषि विज्ञान केन्द्रों पर मा0 प्रबन्ध परिषद की बैठक का आयोजन नही किया जा सक है। इस पर भविष्य में प्रयास किया जायेगा।

6. मा0 कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में नये बैच प्रारम्भ होने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने वाले छात्र/छात्राओं की संख्या काफी बढ़ोतरी हो गयी है। जिसके कारणवश विश्वविद्यालय में हॉस्टल की कमी हो गयी है। जिससे विश्वविद्यालय ने पुराने परिसर में स्थित पटेल भवन एवं कृषक छात्रावास को छात्रों हेतु हास्टल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है तथा विश्वविद्यालय के समीप स्थित नीलकण्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में भी विश्वविद्यालय के कुल 40–42 स्नातकोत्तर के छात्रों को ठहराने की व्यवस्था करायी गयी है।

प्रस्ताव संख्या 47.3 : वित्तीय वर्ष 2021–22 में कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में दिनांक 01.04.2005 एवं उसके बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए नियोक्ता अंशदान की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय को वित्तीय वर्ष 2021–22 में कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में दिनांक 01.04.2005 एवं उसके बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए नियोक्ता अंशदान की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर मा0 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत्ति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: वित्त नियन्त्रक)

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

प्रस्ताव संख्या–47.4: वित्तीय वर्ष 2021–22 में कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के कर्मचारियों के वेतन वहन हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2021–22 में कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के कर्मचारियों के वेतन वहन हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर मा0 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत्ति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या: 47.5– वित्तीय वर्ष 2021–22 में कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के एन0पी0एस0 से आच्छादित कर्मचारियों के लिए दिनांक 31.03.2021 तक के अवशेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान/देरी से जमा किये गये नियोक्ता अंशदान पर ब्याज/अभिदाता अंशदान विलम्ब से जमा कराये जाने पर ब्याज के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2021–22 में कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के एन0पी0एस0 से आच्छादित कर्मचारियों के लिए दिनांक 31.03.2021 तक के अवशेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान/देरी से जमा किये गये नियोक्ता अंशदान पर ब्याज/अभिदाता अंशदान विलम्ब से जमा कराये जाने पर ब्याज के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर मा0 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत्ति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: वित्त नियन्त्रक)

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

प्रस्ताव संख्याः 47.6— **वित्तीय वर्ष 2021—22 में कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ हेतु गैर वेतन की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय को वित्तीय वर्ष 2021—22 में कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ हेतु गैर वेतन की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर मा0 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्याः 47.7— **श्री कालीचरण शर्मा, लेखाकार को सेवानिवृत्ति उपरांत दिनांक 01.11.2021 से कुल 06 माह हेतु मानदेय पर रखे जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

श्री कालीचरण शर्मा, लेखाकार को सेवानिवृत्ति उपरांत दिनांक 01.11.2021 से कुल 06 माह हेतु मानदेय पर रखे जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव को मा0 प्रबन्ध परिषद के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। श्री निखिल कुमार त्यागी, लाइव स्टाक ब्रीडर द्वारा सुझाव दिया गया कि प्रस्तावानुसार श्री कालीचरण शर्मा की कार्यावधि बढ़ाने से सम्बन्धित प्रस्ताव को भी मा0 प्रबन्ध परिषद के समक्ष रखा जाना उपयुक्त होगा। जिसपर मा0 कुलपति जी एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

कार्यवाहीः वित्त नियन्त्रक / निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ—250110

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

प्रस्ताव संख्याः 47.8– **विद्वत परिषद की 81वीं (विशेष) बैठक दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।**

कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ की विद्वत परिषद की 81वीं (विशेष) बैठक दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 में लिए गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया। बैठक में निम्नवत अभिमत व्यक्त किये गयेः–

1. श्री निखिल कुमार त्यागी, लाइव स्टाक ब्रीडर द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र पर विज्ञापित विज्ञापन में चालक के पद हेतु विज्ञापित पदों को ऑनलाईन मोड के बजाय ऑफलाईन मोड में विज्ञापित कराने के सम्बन्ध में सुझाव दिया गया। जिसपर वित्त नियन्त्रक द्वारा मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि कोविड काल के दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन ऑनलाईन मोड में जारी किये जा रहे है। मा0 कुलपति जी द्वारा मा0 सदस्यों का यह भी अवगत कराया कि कोरोना काल में विश्वविद्यालय द्वारा छात्र/छात्राओं की सुविधा हेतु ऑनलाईन क्लासों का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 98 प्रतिशत छात्र/छात्राओं ने क्लासों में प्रतिभाग किया गया।
2. विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद की 81वीं (विशेष) बैठक दिनांक 21.10.2021 के प्रस्ताव संख्या–02 पर मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में विज्ञापित सहायक प्राध्यापकों के पदों के विज्ञापन को निरस्त करते हुए पुनः यू0जी0सी0 गाईडलाईन एवं मा0 राजभवन, उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एव
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

विज्ञापित कराये जाने है तथा पूर्व में विज्ञापित पदों पर पुनः कार्यवाही की जा रही है। साथ ही पूर्व विज्ञापित पदों पर आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों से पुनः उसी पद पर आवेदन करने पर शुल्क नही लिया जायेगा। साथ ही अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा पूर्व में दिये गये विज्ञापनों के अनुसार ही निर्धारित की जायेगी।

3. मा० कुलपति जी द्वारा चर्चा उपरान्त मा० सदस्यों द्वारा CLIMTAG प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन से पूर्व राज्य सरकार एवं आई०सी०ए०आर० नई दिल्ली की संस्तुति लेने की राय दी गई तथा विश्वविद्यालय एवं केन्द्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान, मेरठ एवं राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च संस्थान, करनाल के मध्य अनुबंधों (MOU) पर सहमति हुई।

4. साथ ही विद्वत परिषद की 81वीं (विशेष) बैठक दिनांक 21.10.2021 में लिये गये निर्णयों के क्रम में मा० कुलपति जी द्वारा मा० सदस्यों को यह भी अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में स्थित पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय के पांच विभागों में वर्ष 2022–23 से पी०एच०डी० के पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए निर्णय लिया गया है। साथ ही 11 अध्यापकों को पी०एच०डी० एवं एम०एस०सी० शिक्षण तथा शोध के लिए अधीकृत किया गया एवं एम०टेक० एवं पी०एच०डी० के चार विषयों का सिलेबस अनुमोदित किया गया।

(कार्यवाहीः कुलसचिव / निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण)

5. मा० कुलपति जी द्वारा विद्वत परिषद की 81वीं (विशेष) बैठक दिनांक 21.10.2021 में प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि मेरठ जनपद अथवा आसपास के क्षेत्रों में निवासित वैज्ञानिक, जो विदेशों में शोध/शिक्षण के कार्य का सम्पादन करते है तथा समय–समय पर लम्बे अवकाश पर वापस अपने घर आते है, उनका लाभ विश्वविद्यालय में शिक्षण/शोध के कार्यों में लिया जा सकता है। जिससे कि विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं को विदेशी तकनीकों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सकेगी एवं इसका लाभ छात्र/छात्राओं को भविष्य में भी होगा। साथ ही मा0 कुलपति जी द्वारा मा0 सदस्यों इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराया गया कि इस पर विश्वविद्यालय स्तर पर बनायी गयी कमेटी में कुलपति अध्यक्ष होगें। कमेटी में सभी अधिष्ठातागण, निदेशकगण एवं वित्त नियन्त्रक इसके सदस्य होगें तथा कुलसचिव इस कमेटी के सदस्य एवं Convener का कार्य सम्पादित करेगें।

प्रस्ताव संख्याः 47.9— **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विभिन्न वादों में मा0 कुलाधिपति जी का पक्ष मा0 न्यायालय के समक्ष रखने हेतु अधिवक्ता नामित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विभिन्न वादों में मा0 कुलाधिपति जी का पक्ष मा0 न्यायालय के समक्ष रखने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हेतु श्री प्रभाकर द्विवेदी, ए–II–90, बद्री आवास योजना, न्यू माधवपुरी, तेलयारगंज, प्रयागराज–211004 एवं माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ हेतु श्री प्रकर्श पाण्डेय, 05/49, विनीत

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226010 को शासन द्वारा निर्धारित दरों के अन्तर्गत कार्य करने हेतु नामित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर मा0 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः कुलसचिव/निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण/अध्यक्ष, विधिक समिति)

प्रस्ताव संख्याः 47.10– **सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ एवं Entrepreneurship Development Institute of India, Ahmedabad के मध्य MOU के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ एवं Entrepreneurship Development Institute of India, Ahmedabad के मध्य MOU के सम्बन्ध में प्रस्ताव के सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी द्वारा मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कियुवाओं में उद्यमिता विकास लाने के दृष्टिगत यह एम0ओ0यू0 किया गया है। मा0 कुलपति जी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि Entrepreneurship Development Institute of India, Ahmedabad द्वारा मा0 कुलाधिपति महोदया के समक्ष भी Presentation दिया गया। जिसपर मा0 कुलाधिपति महोदया द्वारा इस पर कार्यवाही हेतु सुझाव दिया गया था। तदोपरांत विचार–विमर्श उपरान्त सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ एवं Entrepreneurship Development Institute of India, Ahmedabad के मध्य MOU से सम्बन्धित प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः निदेशक अनुसंधान केन्द्र)

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

प्रस्ताव संख्याः 47.11– **विश्वविद्यालय के विभिन्न दैनिक विधिक कार्यों के सम्पादन में परामर्श हेतु एक पार्ट टाइम लीगल एक्सपर्ट दिनांक 01.11.2021 से कुल 06 माह हेतु मानदेय पर रखे जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय के विभिन्न दैनिक विधिक कार्यों के सम्पादन में परामर्श हेतु एक पार्ट टाइम लीगल एक्सपर्ट दिनांक 01.11.2021 से कुल 06 माह हेतु मानदेय पर रखे जाने के सम्बन्धित प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाहीः निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण/अध्यक्ष, विधिक समिति)

उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त मा0 सदस्यों द्वारा निम्नवत अभिमत व्यक्त किये गयेः–

1. श्री निखिल कुमार त्यागी, मा0 सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया कि विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कार्यरत साइंटिस्टों को उनके कृषि विज्ञान केन्द्रों के समीप स्थित गांवों को गोद लेना चाहिए जिससे कि किसानों को खेती की नयी–नयी तकनीक उपलब्ध करायी जा सके एवं उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कृषि विज्ञान केन्द्र, सहारनपुर द्वारा जनपद के कुल 2–3 ब्लॉकों तक ही लाभ पहुंच पा रहा है। जिसपर मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि कई कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कार्यरत साइंटिस्टों ने अपने केन्द्रों के समीप स्थित गांवों को गोद लिया हुआ है एवं इस पर अन्य साइंटिस्टों को भी जागरूक किया जायेगा।

(कार्यवाहीः संयुक्त निदेशक प्रसार)

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एव
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

2. श्रीमती सुमन त्यागी, श्री निखिल कुमार त्यागी एवं श्री मनोहर सिंह तोमर द्वारा सुझाव दिया गया कि उनके क्षेत्रों में पड़ने वाले कृषि विज्ञान केन्द्रों पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों को आमंत्रित किया जाये। मा0 कुलपति जी एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा मा0 सदस्यों को आश्वस्त किया गया कि इस पर कार्यवाही निर्देशित किया जायेगा।

(कार्यवाहीः संयुक्त निदेशक प्रसार)

3. श्री मनोहर सिंह तोमर, प्रगतिशील कृषक द्वारा सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में हॉस्टल की कमी के दृष्टिगत विश्वविद्यालय परिसर में स्थित महाविद्यालयों को भी हॉस्टल के रूप में भी उपयोग में लाया जा सकता है। इस पर मा0 कुलपति जी एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा अवगत कराया गया कि महाविद्यालयों को हॉस्टल के रूप में उपयोग में लाया जाना सम्भव नही है। इसके लिए अन्य विकल्पों पर विश्वविद्यालय द्वारा विचार किया जा रहा है।
4. श्री निखिल कुमार त्यागी, लाइव स्टाक ब्रीडर एवं श्री मनोहर सिंह तोमर द्वारा सुझाव दिया गया कि कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा उनके द्वारा वितरित किये जाने वाले बीजों प्रचलन किया जाये, जिससे कि उन बीजों को अधिक से अधिक लाभ किसानों तक पहुंचाया जा सके। इस सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी द्वारा मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों के अध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित करायी जानी उपयुक्त होगी। इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाहीः संयुक्त निदेशक प्रसार)

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

अन्त में सचिव मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

30/10/21

(लक्ष्मी मिश्रा)
वित्त नियंत्रक / सचिव, मा0 प्रबन्ध परिषद

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

अनुमोदित

(डा0 आर0के0 मित्तल)
कुलपति / अध्यक्ष, मा0 प्रबन्ध परिषद

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एव
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ